webside upload करना है। 23.05.18

74

पंकजजी
18/5/11

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR
(LOCAL AUDIT WING), PATNA-800001

No. L.A. Sur./ 43 Dated:- 10.5.2011

वि.प. (श्री सा)

To

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department
Patna.

नगर विकास एवं आवास विभाग
16 MAY 2011
बिहार, पटना

Sir,

557/PS
17/5/11

Audit Report No **740/10-11** on the accounts of **Nagar Parishad Aurangabad** for the period **2008-09** to **2009-10** is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours Sincerely

Encl:- As above

(Bhairab Kumar)
Sr.Audit Officer/Surcharge

उप सचिव
(स्था० शाखा)
17/5/11

508
17/5

604
18/5/11

73

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या:– 740/2010–11
नगर परिषद, औरंगाबाद वर्ष 2008–09 से 2009–10

प्रस्तावना :–

औरंगाबाद नगर परिषद, का वर्ष 2008–09 से 2009–10 तक के लेखाओं की नमूना जॉच प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, बिहार, पटना के एक लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 14.02.11 से 05.03.11 तक की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

क0 सं0	मुख्य पार्षद	अवधि
(i)	श्रीमती संगीता सिंह	01.04.08 से 31.03.10

क0 सं0	उपमुख्य पार्षद	अवधि
(i)	श्रीमती समीमा खातून	01.04.08 से 31.03.10

क0 सं0	नगर कार्यपालक पदाधिकारी का नाम	कार्य अवधि
(1)	श्री अशोक कुमार चौधरी	01.04.08 से 30.08.08
(2)	श्री अमर	30.08.08 से 08.09.08
(3)	श्री किशोर चौधरी	08.09.08 से 08.03.09
(4)	श्री कुमार देवेन्द्र प्रौज्जवल	08.03.09 से 31.03.10

3. लेखा परीक्षा का क्षेत्र

अंकेक्षण में जॉच किये गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट – I में तथा अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किये गये अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट – II में दी गई है।

4. पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

लेखा परीक्षा के दौरान पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में से एक भी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन बार –बार अनुरोध करने के बाद भी उपस्थापित नहीं किया गया, जिससे लंबित कंडिकाओं के निस्तारण की अनुशंसा लेखा परीक्षा दल द्वारा नहीं की जा सकी।

72

5. प्रमुख अंकेक्षण उपलब्धियाँ

कम सं0	कंडिका सं0	विवरण
1	12 (ख)	मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं (राशि रू0 0.42 लाख)
2	11	विज्ञापन एजेंसी से कम वसूली (राशि रू0 0.26 लाख)
3	12 (क)	बन्दोबस्ती राशि की कम वसूली (राशि रू0 0.06 लाख)
4	15	बकाया दुकान किराया (राशि रू0 5.46 लाख)
5	7 (ख)	अनुदान का विचलन (राशि रू0 1.08 लाख)
6	7 (ग)	अनुदान का अवरोधन (राशि रू0 70.00 लाख)
7	9	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि सरकारी कोष में जमा नहीं (राशि रू0 5.00 लाख)

6. वित्त

औरंगाबाद नगर परिषद राज्य /केन्द्र सरकार के अनुदान तथा स्वयं के आय श्रोतों से वित्त सम्पोषित होती है। नगर परिषद द्वारा संधारित विभिन्न रोकड़ बहियों के अनुसार वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के आय – व्यय का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

(1) पी0एल0 खाता रोकड़ बही

(राशि – लाख रूपये में)

		2008–09	2009–10
1.	अथशेष	48.04	181.29
2.	प्राप्ति		
(i) सरकारी अनुदान			
(क)	कर्मचारियों के वेतन भत्ता हेतु	15.19	11.62
(ख)	मैचिंग ग्रान्ट	12.51	16.49
(ग)	पथों को निर्माण /जीर्णोद्धार हेतु	43.00	शून्य
(ध)	मु0 पार्षद एवं अन्य पार्षदों को भत्ता	1.45	1.45
(ड.)	प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु	38.79	शून्य
(च)	ई–गवर्नेन्स हेतु	2.50	शून्य
(ii)	स्टाम्प शुल्क	24.88	58.55
(iii)	स्वयं के श्रोतों से आय	32.26	36.02
3	वर्ष की प्राप्ति (i+ii+iii)	170.58	124.13
4	कुल प्राप्ति (1+3)	218.62	305.42
5	व्यय		
(i)	आवर्त्ती एवं स्थापना व्यय	37.33	52.09
(ii)	मुख्यपार्षद एवं अन्य पार्षदों को भत्ता	शून्य	1.24
(iii)	विभिन्न योजनाओं पर व्यय		
(क)	पथों का निर्माण/जीर्णोद्धार	शून्य	34.56
(ख)	प्रशासनिक भवन निर्माण	शून्य	10.45
(ग)	नगर परिषद निधि से कार्यान्वित योजनाएँ	शून्य	38.83
6	कुल व्यय (i+ii+iii)	37.33	137.17
7	अंतशेष (4–6)	181.29	168.25

71

कोषागार पासबुक के अनुसार दिनांक 31.03.10 को अवशेष राशि रू0 1,68,43,355.89 पाया गया। पी0एल0 खाता रोकड़ बही का दिनांक 31.03.10 को अंतशेष का कोषागार पासबुक में दर्ज अंतशेष के साथ समाधान पी0एल0 खाता रोकड़ बही में दर्ज पाया गया।

2. (क) आई0डी0एस0एम0टी0 (राशि रूपये में)

	2008–09	2009–10
अथशेष	7796.00	7796.00
प्राप्ति	शून्य	शून्य
कुल प्राप्ति	7796.00	7796.00
व्यय	शून्य	शून्य
अंतशेष	7796.00	7796.00

(ख) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (राशि रूपये में)

	2008–09	2009–10
अथशेष	17,84,705.00	13,84,480.00
प्राप्ति	शून्य	शून्य
कुल प्राप्ति	17,84,705.00	13,84,480.00
व्यय	4,00,225.00	शून्य
अंतशेष	13,84,480.00	13,84,480.00

(ग) पथों का निर्माण/जीर्णोद्धार (राशि रूपये में)

	2008–09	2009–10
अथशेष	3,78,938.00	22,95,234.00
प्राप्ति	46,61,977.00	15,00,000.00
कुल प्राप्ति	50,40,915.00	37,95,234.00
व्यय	27,45,681.00	25,65,937.00
अंतशेष	22,95,234.00	12,29,297.00

(घ) राष्ट्रीय मलिन वस्ती विकास कार्यक्रम (राशि – रूपये में)

	2008–09	2009–10
अथशेष	3,07,047.00	3,07,047.00
प्राप्ति	शून्य	शून्य
कुल प्राप्ति	3,07,047.00	3,07,047.00
वर्ष का व्यय	शून्य	शून्य
अंतशेष	3,07,047.00	3,07,047.00

(ड.) बी0 आर0 जी0 एफ0 कार्यक्रम (राशि – रूपये में)

	2008–09	2009–10
अथशेष	शून्य	9,14,865.00
प्राप्ति	57,77,481.00	94,23,655.00
कुल प्राप्ति	57,77,481.00	10,3,38,520.00
व्यय	48,62,616.00	32,21,114.00
अंतशेष	9,14,865.00	71,17,406.00

(च) नाली निर्माण

(राशि – रूपये में)

	2008–09	2009–10
अथशेष	शून्य	64,64,000.00
प्राप्ति	64,64,000.00	शून्य
कुल प्राप्ति	64,64,000.00	64,64,000.00
व्यय	शून्य	45,68,928.00
अंतशेष	64,64,000.00	18,95,072.00

(छ) बारहवीं वित्त

(राशि – रूपये में)

	2008–09	2009–10
अथशेष	33,72,177.00	34,13,881.00
प्राप्ति	11,87,423.00	31,61,732.00
कुल प्राप्ति	45,59,600.00	65,75,613.00
व्यय	11,45,719.00	11,49,857.00
अंतशेष	34,13,881.00	54,25,756.0

(ज) नागरिक सुविधा (राशि – रूपये में)

	2008–09	2009–10
अथशेष	शून्य	शून्य
प्राप्ति	शून्य	1,40,00000.00
कुल प्राप्ति	शून्य	1,40,00000.00
व्यय	शून्य	शून्य
अंतशेष	शून्य	1,40,00000.00

(झ) नगर परिषद निधि (पी0एल खाता के अतिरिक्त) (राशि –रूपये में)

	2008–09	2009–10
अथशेष	3,16,803.00	1,29,774.00
प्राप्ति	शून्य	शून्य
कुल प्राप्ति	3,16,803.00	1,29,774.00
व्यय	1,87,029.00	76,519.00
अंतशेष	1,29,774.00	53,255.00

(ञ) एकादश वित्त आयोग (राशि –रूपये में)

	2008–09	2009–10
अथशेष	62,326.00	62,326.00
प्राप्ति	शून्य	शून्य
कुल प्राप्ति	62,326.00	62,326.00
व्यय	शून्य	शून्य
अंतशेष	62,326.00	62,326.00

अंकेक्षण टिप्पणी:–

(1) नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा नगर परिषद औरंगाबाद को (स्वीकृत्यादेश सं0–12 दिनांक 11.02.09) कुल 70.00 लाख रूपये का अनुदान "नागरिक सुविधा" मद में प्राप्त हुआ था। इसे मध्य बिहार ग्रमीण बैंक शाखा औरंगाबाद के खाता सं0 4647 में रखा गया था। परंतु इसकी प्राप्ति की प्रविष्टि पी0 एल0 खाता रोकड़ बही अथवा 'नागरिक सुविधा' की रोकड़ बही में दिनांक 31.

03.10 तक दर्ज नहीं की गई थी। उक्त अनुदान को कार्यपालक अभियंता, ग्रमीण अभियंत्रण संगठन– 2, औरंगाबाद को स्थानांतरित किया गया था (चेक सं0 423822 दिनांक 31.03.10) परंतु कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 अ0 सं –2, द्वारा इस अनुदान को नगर परिषद को वापस कर दिया गया था। (चेक सं0 339487 दिनांक 08.06.10)

(2) पूर्व में उल्लेखित कम सं0 2(क) से 2 (ञ) तक मे वर्णित रोकड़ बहियों का दिनांक 31.03.10 को अंतशेषों का बैंक खाता के अंतशेषों के साथ समाधान नहीं किया गया था। इन रोकड़ बहियों से सम्बन्धित बैंक खाता में लेन–देन मिश्रित पाया गया आर्थात एक बैंक खाते में एक से अधिक मदों का लेनदेन पाया गया । इन रोकड़ बहियों से सम्बन्धित बैंक खातों का विवरण इस प्रकार हैं:–

	बैंक खाता का विवरण	दिनांक 31.03.10 को अवशेष (रू0)
(i)	औरंगाबाद जिला सेन्ट्रल को ऑपरेटिव बैंक खाता सं0 4529	23,59,362.00
(ii)	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, खाता सं0 – 4647	1,77,07,990.00
(iii)	पी0एन0बी0 खाता सं0 0502000100246963	77,86,444.00
(iv)	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता सं0 – 2004506575	1,40,00000.00
(v)	पी0एन0बी0 खाता सं0 – 0502000100184186	47,827.00

रोकड़ बहियों में समाधान विवरणी दर्ज कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

(3) रोकड़ बहियों में दर्शित अनुदानों की अवशेष राशियों को पहले से स्वीकृत योजनाओं पर खर्च किया जाये अथवा स्वीकृति दाता प्राधिकारी को वापस कर दिया जाए।

7. सरकारी अनुदान

(क) वर्ष 2008–09 से 2009–10 तक का अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था जिससे दिनांक 01.04.08 को अव्यवहृत अनुदान, वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में प्राप्त अनुदान एवं व्ययित अनुदान तथा दिनांक 31.03.10 को अव्ययित अनुदान को ज्ञात नहीं किया जा सका। फिर भी, उपलब्ध कराये गये रोकड़ बहियों एवं अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में प्राप्त अनुदान का विवरण निम्नवत हैं:–

कम सं0	वर्ष	प्राप्त अनुदान (लाख रू0 में)
1	2008–09	364.34
2	2009–10	310.41

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट – III पर)

(ख) बी0 आर0 जी0 एफ0 अनुदान का विचलन

बी0 आर0 जी0 एफ0 मद से चेक सं0 926145 दि0 13.02.10 के माध्यम से कुल रू0 1,08,254.00 की राशि की निकासी कर एंव बैंक ड्राफ्ट बनवाकर 'बिजली का पोल हटाने हेतु' बिहार राज्य विधुत बोर्ड को भुगतान किया गया था। ध्यातव्य है कि बी0 आर0 जी0 एफ0 अनुदान से ऐसे भुगतान/व्यय की अनुमति नहीं है। इस प्रकार बी0 आर0 जी0 एफ0 अनुदान में से कुल रू0 1,08,254.00 का विचलन किया गया था। अतः कुल रू0 1,08,254.00 की क्षतिपूर्ति नगर परिषद निधि से की जाये।

(ग) अनुदान का अवरोधन नागरिक सुविधा मद मे वर्ष 2008–09 में प्राप्त कुल रू0 70.00 लाख के अनुदान को दिनांक 31.03.10 तक खर्च नहीं किया जा सका था। ज्ञातव्य है कि विभिन्न केन्द्र/ राज्य प्रायोजित योजनाओं कों ससमय पूरा नहीं करनें के कारण योजनओं का उद्देश्य जाता रहता है।

68

8 मॉग एवं वसूली (मुख्य कर)

नगर परिषद द्वारा मकान कर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर आदि से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था, जिससे मॉग एंव वसूली की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी। मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं होना वितीय अनियमितता की ओर इंगित करता है

फिर भी, नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार मॉग एवं वसूली की स्थिति निम्नवत् थी:–

	मद	वर्ष	विवरण	राशि
1	भवन कर	2008–09	मॉग	10,13,130.00
	भवन कर	2008–09	संग्रह	2,03,632.00
	भवन कर	2009–10	मॉग	13,39,399.00
	भवन कर	2009–10	संग्रह	3,52,105.00
2	शिक्षा उपकर	2008–09	मॉग	5,06,565.00
	शिक्षा उपकर	2008–09	संग्रह	1,01,816.00
	शिक्षा उपकर	2009–10	मॉग	6,69,699.00
	शिक्षा उपकर	2009–10	संग्रह	1,76,052.75
3	स्वास्थ्य उपकर	2008–09	मॉग	5,06,565.00
	स्वास्थ्य उपकर	2008–09	संग्रह	1,01,816.00
	स्वास्थ्य उपकर	2009–10	मॉग	6,69,699.00
	स्वास्थ्य उपकर	2009–10	संग्रह	1,76,052.00

उपरोक्त ऑकड़ों से स्पष्ट है कि मॉग के विरूद्ध वसूली का प्रतिशत वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में क्रमशः 20% एवं 26% था जो काफी दयनीय था।

अतः वसूली को बढ़ाने का सार्थक प्रयास किया जाये तथा नगर परिषद की आय में वृद्धि करने हेतु अब तक नहीं लगाये गये करों जैसेः जलकर, शौचकर, पेशाकर (वृत्तिकर) आदि करों को लगाया जाये।

9. **शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि सरकारी कोष में जमा नहीं**

बिहार प्रशासनिक शिक्षा उपकर अधिनियम, 1959 एवं बिहार स्वास्थ्य उपकर नियमावली, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की वसूली गयी राशियों के 10 प्रतिशत वसूली खर्च काटकर, उपकरों के शेष राशि को सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कर देनी चाहिए थी, परन्तु नगर परिषद औरंगाबाद के द्वारा वसूली राशि जमा नहीं किया गया। लेखा परीक्षा वर्षान्तर्गत विवरणी निम्न है:–

क्रम सं0	वर्ष	वसूली गयी शिक्षा उपकर (रू0)	वसूली गई स्वास्थ्य उपकर (रू0)
1	2008–09	1,01,816.00	1,01,816.00
2	2009–10	1,76,052.75	1,76,052.75
	कुल –	**2,77,868.75**	**2,77,868.75**
	घटाव (–) 10%	27,786.87	27,786.87
	शेष राशि	2,50,081.88	2,50,081.88
	या,	2,50,081.00	2,50,081.00

सरकार को प्रेषित की जाने वाली राशि

	रू0
शिक्षा उपकर	250,081.00
स्वास्थ्य उपकर	2,50,081.00
कुल योग –	5,00,162.00

अतः कुल राशि रू0 5,00162.00 को राज्य सरकार के सम्बन्धित राजस्व शीर्ष में जमा करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जायें।

10. **नहीं जमा/कम जमा**

(1) फार्म 'एच' रसीदों के माध्यम से वसूली गयी राशि का जमा दैनिक वसूली पंजी में देखने के क्रम में पाया गया कि श्री राजेन्द्र सिंह, कर संग्रहकर्त्ता द्वारा कुल रू0 1628.00 को नहीं जमा/कम जमा किया गया था। विवरण निम्नवत् है:–

कम सं0	फॉर्म एच रसीद सं0	दिनांक	वसूली की गयी राशि (रू0)	जमा की गयी राशि (रू0)	नहीं जमा/कम जमा
1	9414	20.05.08	70.00	शून्य	70.00
2	9677	20.06.08	120.00	शून्य	120.00
3	9678	20.06.08	20.00	शून्य	20.00
4	45	23.07.08	180.00	शून्य	180.00
5	628	06.11.08	40.00	20.00	20.00
6	659	08.11.08	80.00	60.00	20.00
7	1626 से 1630	07.04.09	480.00	शून्य	480.00
8	1689	21.04.09	120.00	60.00	60.00
9	2378	24.07.09	24.00	शून्य	24.00
10	2535	12.08.09	350.00	शून्य	350.00
11	2557	18.08.09	520.00	320.00	200.00
12	3839	19.02.09	12.00	शून्य	12.00
13	3869	20.02.10	110.00	100.00	10.00
14	4079	10.03.10	32.00	शून्य	32.00
15	4212	17.03.10	60.00	30.00	30.00
				कुल –	**1628.00**

कुल रू0 1628.00 की वसूली कर संग्रहकर्त्ता श्री राजेन्द्र सिंह से की जाये एवं वसूली गयी राशि को नगर परिषद निधि में जमाकर, जमा का प्रमाण अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये।

2. विविध रसीदों के माध्यम से वसूली गई राशियों का जमा दैनिक वसूली पंजी में देखने के क्रम में पाया गया कि रोकड़पाल द्वारा कुल रू0 260.00 को कम जमा किया गया था। विवरण निम्नवत् है:–

कम सं0	विविध रसीद सं0	वसूली की तिथि	वसूल की गई राशि	जमा राशि (रू0)	कम जमा (रू0)
1	8892	19.02.10	25.00	15.00	10.00
2	9688	21.04.10	500.00	250.00	250.00
				कुल –	**260.00**

इस संबंध में आपत्ति किये जाने पर रोकड़पाल द्वारा विविध रसीदों के माध्यम से कुल रू0 260.00 को निम्नवत् जमा किया गया:–

कम सं0	विविध रसीद सं0	दिनांक	राशि
1	4757	01.03.10	250.00
2	4758	01.03.10	10.00
		कुल –	**260.00**

66

परंतु अंकेक्षण की तिथि (05.03.10) तक उक्त राशि को कोषागार खाता में जमा नहीं किया जा सका था।

अतः कुल रू0 260.00 को नगर परिषद से संबंधित कोषागार खाता में जमा किया जाये एवं जमा का प्रमाण अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये।

11 व्यावसायिक विज्ञापन

औरंगाबाद नगर में सड़क पर बिजली के खम्भे पर लगे प्रकाश व्यवस्था (स्ट्रीट लाईट) के रख रखाव और नगर में चिन्हित स्थानों पर विज्ञापन होर्डिंग लगाने हेतु वर्ष 2008–2013 तक मगध एडवरटाईजिंग ब्यूरों, एस0पी0 वर्मा रोड, पटना के साथ एकरारनामा किया गया था।

एकरारनामा में निम्न प्रावधान भी थेः–

(क) औरंगाबाद नगर परिषद को मगध एडवरटाईजिंग द्वारा जो भी विज्ञापन कियोस्क/होर्डिंग/ग्लोसाईन बोर्ड/ हाई मास्क लगाये जायेंगे उनका किराया रू0 6.00 (छः) प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष की दर से भुगतान करना था। किराया दर में प्रतिवर्ष 5% की दर से वृद्धि करने का भी प्रावधान था।

(ख) ओभर हेड (युनी पोल) एवं ट्रैफिक पुलिस पोस्ट के निर्माण हेतु स्थल का चयन संयुक्त रूप से नगर परिषद, औरंगाबाद और मगध एडवरटाईजिंग ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा करने और उनका निर्माण मगध एडवरटाईजिंग ब्यूरो द्वारा अपने खर्च से करने का प्रावधान था।

नगर परिषद द्वारा औरंगाबाद की सड़कों पर उक्त फर्म द्वारा लगाए गए AIRCEL के प्रचार पट के लिए एक वर्ष का अग्रिम किराया का मॉग निम्नवत् तैयार किया गया थाः–

प्रचार पट लगाए गये पोलों की संख्या	प्रचार पट का साईज	किराया की दर	किराया की अवधि	कुल किराया
350	2' X 3' (दोनों तरफ) = 12 वर्ग फीट	6.00 प्रति वर्ग फीट	01.10.08 से 30.09.09	12,600.00

उक्त मॉग के अनुसार अंकेक्षण की तिथि तक फर्म द्वारा नगर परिषद में जमा राशि का विवरण निम्नवत् हैः–

कम सं0	अवधि	किराया	विवरण
1	01.10.08 से 30.09.09	12,600.00	बिल सं0 33/2008–09
2	01.10.09 से 30.09.10	13,230.00	बिल सं0 12/2009–10

अंकेक्षण टिप्पणीः–

(1) प्रचार पट का साईज 2' X 3' (दोनों तरफ) = 12 वर्ग फीट था। कुल 350 पोल पर रू0 6.00 प्रति वर्ग फीट की दर से कुल वार्षिक किराया रू0 25,200.00 होना चाहिए था। अगले वर्ष हेतु (01.10.09 से 30.09.10) रू0 26,460.00 किराया होना चाहिए था। इस प्रकार, प्रथम दो वर्षों का किराया रू0 51,660.00 होना चाहिए था, परंतु 25,830/– रू0 ही किराया के रूप में लिया गया। अर्थात् कुल 25,830.00 रू0 की कम वसूली विज्ञापन एजेंसी से की गई।

65

अतः कुल रू0 25,830.00 की वसूली तत्काल, मगध एडवरटाईजिंग ब्यूरो से की जाये एवं वसूली गई राशि को नगर परिषद निधि में जमाकर, जमा का प्रमाण अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये। प्रचार पट पोलों की गिनती भी एक बार पुनः करायी जाये।

(2) ओभर हेउ (युनी पोल) एवं ट्रैफिक पुलिस पोस्ट का निर्माण अंकेक्षण की तिथि (माह – फरवरी' 2011) तक नहीं हो सका था। अतः उक्त निर्माण हेतु सार्थक कार्रवाई की जाये।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, नगर परिषद के प्राधिकारियों द्वारा निहित स्वार्थ हेतु विज्ञापन एजेंसी को अप्रत्यक्ष लाभ पहुँचाये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

12. बन्दोबस्ती

(क) नगर परिषद औरंगाबाद का बाजार बन्दोबस्ती (दैनिक पार्किंग शुल्क, दैनिक स्टॉल, रिक्शा, ठेला साईकिल का वार्षिक निबंधन शुल्क) वर्ष 2008–09 के लिए श्री निर्भय सिंह को रू0 5,95,000.00 में किया गया था। उक्त बन्दोबस्ती के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा कुल रू0 5,88,550.00 को ही नगर परिषद निधि में जमा किया गया था। विवरण निम्नवत् है:–

कम सं0	विविध रसीद सं0	दिनांक	राशि (रू0)
1	9819	04.07.08	60,000.00
2	9822	04.07.08	2,37,500.00
3	799	02.09.08	2,91,050.00
		कुल –	**5,88,550.00**

इस प्रकार श्री निर्भय सिंह द्वारा कुल रू0 6450.00 (5,95,000 – 5,88,550) कम जमा किया गया। अतः रू0 6,450.00 की वसूली श्री सिंह से की जाये एवं वसूली गई राशि को नगर परिषद निधि में जमाकर, जमा का प्रमाण अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये।

(ख) मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं

मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक 1920/नि0/मु0स0 दिनांक 14.08.02 एवं सचिव सह निबंधन महानिरीक्षक, बिहार के पत्रांक 549 दि0 15.03.05 के अनुसार बस पड़ाव/हाट बाजार/घाट/जलकर/मेला स्थल/ बालू घाट/दुकान/ होर्डिंग/ मार्केटिंग शेड्स इत्यादि की बन्दोबस्ती यदि एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए की जाती है तो बन्दोबस्ती करने से पूर्व बन्दोबस्ती की राशि पर 3% की दर से देय मुद्रांक शुल्क मुद्रांक के रूप में बन्दोबस्ती कराने वाले से लेकर उसी पर बन्दोबस्ती की शर्तें लिखकर निर्गत की जानी चाहिए।

नगर परिषद द्वारा की गयी बन्दोबस्ती के विरूद्ध वसूली गयी मुद्रांक शुल्क का विवरण निम्नवत् है:–

कम सं0	बन्दोबस्ती का विवरण	वर्ष	बन्दोबस्ती की राशि (रू0)	देय मुद्रांक शुल्क (3%)	वसूली गई मुद्रांक शुल्क	कम वसूली (रू0)
1	औरंगाबाद बाजार (दैनिक पार्किंग शुल्क, दैनिक स्टॉल, रिक्शा, ठेला साईकिल का वार्षिक निबंधन शुल्क) ठेकेदार – श्री निर्भय सिंह	2008–09	5,95,000.00	17850.00	10.00	17,840.00
2	औरंगाबाद बाजार (दैनिक पार्किंग शुल्क, दैनिक स्टॉल, रिक्शा, ठेला साईकिल का वार्षिक निबंधन शुल्क) ठेकेदार – श्री सुनील गुप्ता	2009–10	8,21,000.00	24,630.00	10,00	24,620.00
					कुल –	**42,460.00**

(64)

इस प्रकार, ठेकेदारों से मुद्रांक शुल्क के रूप में कुल रू0 42,460.00 की कम वसूली की गई।

अतः कुल रू0 42,460.00 की वसूली संबंधित ठेकेदारों से की जाये एवं वसूली गयी राशि को मुद्रांक शुल्क के रूप में राज्य सरकार के संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा किया जाये एवं जमा का प्रमाण अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये।

13. मोबाईल टॉवर शुल्क

नगर परिषद औरंगाबाद के क्षेत्रान्तर्गत मोबाईल टॉवरों से सम्बन्धित मॉग एवं वसूली पंजी के जॉच के क्रम में पाया गया कि दिनांक 31.03.10 तक कुल 28 मोबाईल टॉवर संचालन में थे। टॉवरों से संबंधित विभिन्न मोबाईल कंपनियों पर दिनांक 31.03.10 तक कुल रू0 22.00 (बाइस) लाख किराया के रूप में बकाया था। विवरण निम्नवत् है:–

क्रम सं0	वर्ष 2009–10 तक के लिए कुल मॉग	वर्ष 2009–10 तक में कुल वसूली	दिनांक 31.03.10 तक बकाया किराया (रू0)
1	28,00000.00	6,00000.00	22,00000.00

नगर परिषद द्वारा लिखित रूप में बताया गया कि कई मामले माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे थे एवं सरकार द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे बाद के कारण तत्काल वसूली पर रोक थी, जिसके कारण वर्ष 2009–10 में मोबाईल टॉवर शुल्क की कम वसूली हुई।

अतः भविष्य में, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में उचित कार्रवाई की जाये।

14. नक्शा

कार्यालय नगर परिषद, औरंगाबाद के आम सूचना ज्ञापांक – 569 दिनांक 05.07.08 के अनुसार वास्तुविदों द्वारा भवन निर्माण की योजना तैयार करने तथा स्वीकृति के उपरांत समय – समय पर निर्माण कार्य की जॉच करने का प्रावधान किया गया था। बिहार नगर पालिका अधिनियम – 2007 की धारा 318 के अनुसार नक्शा स्वीकृत करने वाले वास्तुविद को भी समय–समय पर निर्मित भवनो की जॉच करने एवं कार्यालय को सूचित करने का प्रावधान है।

आर्किटेक्ट द्वारा स्वीकृत नक्शा की पंजी की संवीक्षा में पाया गया कि दिनांक 10.09.09 से 31.03.10 तक कुल 48 नक्शा पारित किया गया था। पारित नक्शा की संचिका के अवलोकन में पाया गया कि एक भी पारित नक्शा से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन/जॉच प्रतिवेदन वास्तुकार/अभियंता आदि द्वारा कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, स्पष्ट है कि वास्तुकारों/अभियंताओं की दिलचस्पी केवल नक्शा पारित करने में थी।

15. बकाया दुकान किराया

अंकेक्षण में प्रस्तुत दुकान किराया पंजी के नमूना जॉच में पाया गया कि विभिन्न दुकानदारों पर दिनांक 31.03.10 तक कुल रू0 5,45,930.00 किराया के रूप में बकाया था।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट – IV पर)

अतः कुल रू0 5,45,930.00 की वसूली संबंधित दुकानदारों से शीघ्र की जाये एवं वसूली गयी राशि को नगर परिषद निधि में जमाकर, जमा का प्रमाण अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

16. **योजनाओं की भौतिक स्थिति**

वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में कार्यान्वित योजनाओं की दिनांक 31.03.10 तक की भौतिक स्थिति निम्नवत् पायी गयी:–

क्रम सं0	मद	वर्ष	कार्यान्वित योजनाओं की सं0	पूर्ण योजनाओं की सं0	अपूर्ण योजनाओं की सं0	अपूर्ण योजनाओं की प्राक्कलित राशि (रू0)
1	बी0आर0जी0एफ	2008–09	11	11	शून्य	–
2	बी0आर0जी0एफ	2009–10	13	13	शून्य	–
3	12 वीं वित्त	2008–09	08	08	शून्य	–
4	12 वीं वित्त	2009–10	शून्य	–	–	–
5	नाली निर्माण	2009–10	25	23	02	9,01,500.00
6	पथों का निर्माण/जीर्णोद्धार	2008–09	15	15	शून्य	–
7	पथों का निर्माण/जीर्णोद्धार	2009–10	05	04	01	8,00000.00
8	नगर परिषद निधि	2008–09	27	27	शून्य	–
9	नगर परिषद निधि	2009–10	08	08	शून्य	–
10	प्रशासनिक भवन निर्माण	2009–10	01	शून्य	01	50,00000.00
		कुल योग –	**113**	**109**	**04**	**67,01,500.00**

उक्त कार्य संवेदकों के माध्यम से कराये गये थे कुल 04 (चार) योजनाएँ दिनांक 31.03.10 तक अधूरी थीं परंतु, इन चार योजनाओं में किसी प्रकार की अग्रिम की राशि बकाया नहीं थी।

कुल 04 अधूरी योजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाये।

17. **संचिका/प्रमाणक/भंडार पंजी आदि अभिलेखों की अप्रस्तुती**

12 वीं वित्त की रोकड़ बही में दर्ज भुगतानों की प्रविष्टियों के जॉच के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में सोडियम लाईट, वाटर टैंकर एवं ट्रॉली की खरीद की गई थी, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

क्रम सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि (रू0)	विवरण
1	030443	02.01.09	3,26,705.00	कोन्डला इन्टर प्राईजेज लि0 लवकुश टॉवर, पटना को।
2	423807	17.02.10	2,08,320.00	संग्ल इंजीनियरिंग वर्क्स को वाटर टैंकर हेतु भुगतान।
3	423816	23.02.10	81,730.00	आजाद सेल्स, पटना को 10 अदद ट्रॉली का भुगतान।
		कुल –	**6,16,755.00**	

परंतु उक्त भुगतानों से संबंधित अभिश्रव/प्रमाणक/संचिका/भंडार पंजी में प्रविष्टि आदि अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार, भुगतानों की वास्तविकता की जॉच नहीं की जा सकी। उक्त अभिलेखों को अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये। तब तक, कुल रू0 6,16,755.00 के भुगतान को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

18. **पूर्वनियोजित रूप से संवेदकों का चयन (बी0आर0जी0एफ0)**

1. योजना सं0	05/2008–09
योजना का नाम	वार्ड नं0 33, पुरानी जी0टी0 रोड से न्यू जी0टी0 रोड एवं राम नरेश सिंह तक एप्रोच रोड निर्माण।
प्राक्कलित राशि	रू0 11,95,000.00
संवेदक	श्री अमर जीत कुमार
संवेदक को कुल भुगतान	रू0 10,57,999.00
मापी पुस्तिका की राशि	रू0 11,94,987.00

62

अंकेक्षण टिप्पणीः–

इस योजना से संबंधित परिमाण विपत्र (B.O.Q) दो संवेदकों श्री अमर जीत कुमार एवं श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा खरीदा गया था एवं दर अंकित कर कार्यालय में समर्पित किया गया था। अंकित दर के कॉलम में एक ही लिखावट में हू–ब–हू " प्रकलीत दर पर" लिखा हुआ था, जिससे ज्ञात होता है कि दोनों परिमाण विपत्र वास्तव में एक ही व्यक्ति द्वारा समर्पित किया गया था। आगे, यदि दोनों संवेदक एक ही दर पर (प्राक्कलित दर) कार्य करने को तैयार थे, तो फिर श्री राजेन्द्र सिंह की निविदा रद्द करने के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया था।

2. योजना सं0	04/2008–09
योजना का नाम	वार्ड नं0 11 में रणजीत बाबु से बृजमोहन बाबु तक पी0सी0सी0 एप्रोच पथ एवं नाली निर्माण कार्य।
प्राक्कलित राशि	4,09,800.00
संवेदक	श्री संजय कुमार सिंह
योजना में संवेदक को कुल भुगतान	रू0 3,46,932.00
वापस नहीं किये गए अग्रधन की राशि	रू0 20,300.00
मापी पुस्तिका की राशि	रू0 4,05,986.00

अंकेक्षण टिप्पणीः–

इस योजना. का परिमाण विपत्र (B.O.Q) दो संवेदक श्री संजय कुमार सिंह एवं श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा खरीदा गया था एवं दर अंकित कर नगर परिषद कार्यालय में समर्पित किया गया था। इनके द्वारा समर्पित परिमाण विपत्र में दर्शित अग्रधन राशि जमा का कॉलम, दर का कॉलम, कार्य पूर्ण होने की अवधि के कॉलम में दर्ज विवरण एक ही लिखावट में हू–ब–हू पाया गया। श्री संजय कुमार सिंह द्वारा प्राक्कलित दर पर कार्य करना दर्ज किया गया था, जबकि श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा प्राक्कलित दर से 5% अधिक दर पर कार्य करने को सफेद द्रव (White fluid) का प्रयोग कर बनाया गया था। इस प्रकार, स्पष्ट है कि दोनों परिमाण विपत्र वास्तव में एक ही व्यक्ति द्वारा खरीदा एवं समर्पित किया गया था एवं सबकुछ पूर्वनियोजित था।

3. योजना सं0	01/2008–09
योजना का नाम	वार्ड नं0 8 में जयनंदन पाण्डेय के मकान से जिला परिषद अध्यक्ष आवास होते हुए मुख्य अहरी पथ तक पी0सी0सी0 पथ एवं मध्य में नाली निर्माण।
प्राक्कलित राशि	रू0 12,57,000.00
मापी पुस्तिका की राशि	रू0 12,52,539.00
संवेदक	श्री सुधीर कुमार परमार।
योजना में संवेदक को कुल भुगतान	रू0 11,57,839.00

अंकेक्षण टिप्पणीः–

इस योजना से संबंधित परिमाण विपत्र (B.O.Q) दो संवेदकों श्री सुधीर कुमार परमार एवं श्री अमर जीत कुमार द्वारा खरीदा गया था एवं दर अंकित कर कार्यालय में समर्पित किया गया था। श्री परमार द्वारा अग्रधन के रूप में 25,500/– एवं श्री अमरजीत कुमार द्वारा अग्रधन के रूप में रू0 10,000.00 जमा किया जाना दर्शाया गया था। अंकित दर के कॉलम में दोनों संवेदकों

द्वारा एक ही लिखावट में " On schedule" लिखा हुआ था। इस प्रकार, स्पष्ट है कि दोनों परिमाण विपत्र एक ही व्यक्ति द्वारा खरीदा एवं समर्पित किया गया था।

उपरोक्त बिन्दुओं पर नगर परिषद द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण दिया जाये।

19. **अग्रिम**

वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लिए अग्रिम पंजी का संधारण सही ढंग से नहीं किया गया था। अग्रिमों के समायोजन से संबंधित अभिश्रव सं0 एवं दिनांक अग्रिम पंजी में दर्ज नहीं था जिससे यह पता नहीं चल पाया कि दिनांक 31.03.10 तक किस अधिकारी/कर्मचारी पर कितनी राशि का बकाया अग्रिम था। अग्रिम पंजी में किसी पदाधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर नहीं था। फिर भी, पी0एल0खाता रोकड़ बही के माध्यम से वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में प्रदान किये गये सभी अग्रिमों का समायोजन दिनांक 31.03.10 तक कर लिया गया था।

अग्रिम पंजी का सही ढंग से संधारण कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

20. **कार्यपालक पदाधिकारी से वार्त्तालाप**

अंकेक्षण के दौरान एवं अंकेक्षण के उपरांत कार्यपालक पदाधिकारी से प्रमुख बिन्दुओं पर वार्त्तालाप की गयी।

21. **लेखा परीक्षा का परिणामः–**

लेखा परीक्षा के निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुएः–

(i)	वसूली के लिए सुझायी गयी राशि	6,22,558.00
(ii)	अंकेक्षण आपत्ति के अधीन राशि	616755.00

(विस्तृत विवरणी **परिशिष्ट सं0 V** पर)

22. **सामान्य अभ्युक्ति**

लेखा अभिलेखों के संधारण में प्रचुर सुधार अपेक्षित है। प्रमुख अभिलेख जैसे अनुदान पंजी, ऋण एवं ऋण विनियोग पंजी, संपत्ति पंजी, मुख्य करों की मॉग एवं वसूली पंजी इत्यादि संधारित नहीं थे। परिषद के विभिन्न प्रकार की प्राप्तियों की देखरेख तथा परिषद कोष में उनका जमा पर पदाधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार के दिशा निर्देश एंव मार्गदर्शिका के पालन की आवश्यकता महसूस की गयी नक्शा पारित करने वाले वास्तुकार/अभियंता द्वारा अपने कर्त्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया गया।

(कमल किशोर)
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

60

सं0 स्था0ले0प0/अधिमार/ 42 दिनांकः– 10.5.2011

नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद, को यह प्रतिवेदन अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि प्रतिवेदन प्राप्ति के तीन महीनों के भीतर अंकेक्षण आपत्तियों का अनुपालन प्रतिवेदन स्थानीय लेखा परीक्षक बिहार, पटना को भेज दिया जाय।

ह0/

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी/अधिभार
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा
बिहार, पटना

ज्ञापांकः– सं0 स्था0ले0प0/अधिमार/ 43 दिनांकः– 10.5.2011

प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित

(1) प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार,पटना।

(2) जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद, बिहार।

(3) सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/ अधिभार

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी/अधिभार
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा
बिहार, पटना

740/2010-11
N.P. Aurangabad

परिशिष्ट - I

अंकेक्षण में जाँच किये गये अभिलेखों की सूची
(प्रतिवेदन की कंडिका सं० 3 में संदर्भित)

क्रम सं०	विवरण
1.	पी० एल० खाता रोकड़ बही
2.	दस (10) अन्य रोकड़ बही
3.	रोकड़पाल रोकड़ बही
4.	विविध रसीद
5.	फार्म - रुचं रसीद
6.	दैनिक वसूली पंजी
7.	कोषागार पासबुक
8.	बैंक पासबुक / विवरणी
9.	अग्रिम पंजी
10.	योजना पंजी
11.	योजना अभिलेख
12.	अभिश्रव / प्रमाणक
13.	मोबाईल टॉवर से संबंधित माँग एवं वसूली पंजी
14.	बंदोबस्ती संचिका
15.	नक्शा पंजी एवं संचिका
16.	भविष्य निधि से संबद्ध प्रमाणक।
17.	दुकान किराया पंजी
18.	व्यावसायिक विज्ञापन से संबद्ध संचिका।
19.	रसीदों से संबंधित भंडार पंजी

परिशिष्ट - II

अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किये गये अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची
(प्रतिवेदन की कंडिका सं० 3 में संदर्भित)

क्रम सं०	विवरण
1.	भंडार पंजी
2.	मुख्य करों से संबंधित माँग एवं वसूली पंजी
3.	बजट एवं वार्षिक लेखा
4.	संपत्ति पंजी, अनुदान पंजी
5.	सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत संचिका
6.	स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल।
7.	वेतन पंजी एवं वेतन निर्धारण प्रपत्र
8.	मकानों के कर मूल्यांकन से संबद्ध संचिका एवं कर-मूल्यांकन प्रपत्र।
9.	स्टाक रजिस्टर।
10.	वार्षिक कार्य योजना, प्रगति प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र।
11.	जिला योजना समिति द्वारा बी० आर० जी० एफ० की पारित योजनाओं की सूची।
12.	लेखा पुस्तिका।

परिशिष्ट – III

वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में प्राप्त अनुदान को दर्शाती विवरणी

(प्रतिवेदन की कंडिका सं० — 7 में संदर्भित)

क्रम सं०	रोकड़ बही का विवरण	रोकड़ बही में जमा की तिथि	राशि (रु०)	अनुदान की प्रकृति	नगर विकास एवं आवास विभाग का पत्रांक/स्वीकृत्यादेश सं० एवं दिनांक
			2008-09		
1.	पी०एल० खाता	30.03.09	43,00000=00	पथ निर्माण/जीर्णोद्धार	वर्णित नहीं
2.	,,	26.04.08	12,50,700=00	मैचिंग ग्रान्ट	,,
3.	,,	30.03.09	15,18,643=00	कर्मचारियों के वेतन, भत्ता हेतु	,,
4.	,,	,,	2,50,000=00	ई-गवर्नेन्स	4968 दि० 19.09.08
5.	,,	,,	1,45,200=00	पार्षदों को भत्ता	वर्णित नहीं
6.	,,	,,	38,79,075=00	प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु	24 दि० 21.02.09
7.	पथ निर्माण/जीर्णोद्धार	27.02.09	46,61,977=00	पथ निर्माण/जीर्णोद्धार	3230 दि० 22.06.08
8.	बी०आर०जी०एफ	27.05.08	57,77,481=00	बी०आर०जी०एफ०	मु०का०पदा०, जिलापरि० औरंगाबाद का पत्रांक 73 दि० 27.5.08
9.	नाली निर्माण	27.02.09	64,64,000=00	नाली निर्माण	3776 दि० 15.07.08
10.	नागरिक सुविधा	31.03.10 तक दर्ज नहीं	70,00000=00	नागरिक सुविधा	12 दि० 11.02.09
11.	12वीं वित्त	26.04.08	11,87,423=00	12वीं वित्त	1938 दि० 17.04.08

कुल योग — 3,64,34,499=00

2009-10

क्रम सं०	रोकड़ बही का विवरण	रोकड़ बही में जमा की तिथि	राशि (रु०)	अनुदान की प्रकृति	नगर विकास एवं आवास विभाग का पत्रांक/स्वीकृत्यादेश सं० एवं दिनांक
1.	पी०एल० खाता	31.03.10	16,49,051=00	मैचिंग ग्रान्ट	वर्णित नहीं
2.	,,	31.03.10	11,61,820=00	कर्मचारियों के वेतन, भत्ता हेतु	,,
3.	,,	,,	1,45,200=00	पार्षदों को भत्ता	,,
4.	पथ निर्माण/जीर्णोद्धार	23.11.09	15,00000=00	पथ निर्माण/जीर्णोद्धार	13 दि० 11.02.09
5.	बी०आर०जी०एफ	08.06.09	46,27,524=00	बी०आर०जी०एफ०	मुख्य का०पदा०, जिला परिषद औरंगाबाद
6.	,,	13.01.10	47,96,131=00	,,	-तदैव- ज्ञापांक 5181 दिनांक 13.01.10
7.	12वीं वित्त	31.03.10	15,80,866=00	12वीं वित्त	28 दि० 17.03.10
8.	,,	,,	15,80,866=00	,,	41 दि० 25.03.10
9.	नागरिक सुविधा	24.02.10	1,40,00000=00	नागरिक सुविधा	12 दि० 11.02.09

कुल योग — 3,10,41,458=00

परिशिष्ट – IV

बकाया दुकान किराया की दर्शाती विवरणी
(प्रतिवेदन की कंडिका सं0-15 में संदर्भित)

क्र0सं0	दुकानदार का नाम	दुकान नं:	दर/महीना	बकाया राशि
(i)	धर्मशाला मोड़			
1.	श्री विजय कुमार चौधरी	2	180	8460
2.	" विनय कुमार सिंह	4	319	14036
3.	" आर0 पी0 पी0 सिंह	6	150	1350
4.	" नथूनी राम	7	120	6150
5.	" कान्त कुमार	9	120	3240
6.	" गोविन्द सिंह	10	120	1800
7.	" विजय राम	11	120	8720
				43756

क्र0सं0	दुकानदार का नाम	दुकान नं:	दर/महीना	बकाया राशि
(ii)	जगत पति मार्केट 'A'			
1.	श्री दीपक कु0 सिंह	1	252	9072
2.	" धर्मेन्द्र कुमार	5	104	8736
3.	" संजय कुमार सिंह	8	240	14880
4.	" कृष्ण कुमार सिंह	9	244	32696
5.	" संजीव कुमार गुप्ता	3	1000	4000
				69384

क्र0सं0	दुकानदार का नाम	दुकान नं:	दर/महीना	बकाया राशि
	जगत पति मार्केट ग्रुप (बी)			
1	श्री नरेश भगत	1	128	768
2.	श्री सुरेश भगत	2	128	3456
3.	" देवराज राम	4	128	6016
4.	" अवधनारायण प्रसाद	6	128	1152
5.	मो0 आजम	7	128	6656
6.	मो0 मुस्लिम अब्बासी	8	128	8064
7.	मो0 इस्लाम	10	123	1107
8.	मो0 अफताब आलम	11	171	10260
9.	शौकत अली	12	160	10,400
10.	शैलेन्द्र कुमार सिंह	15	128	6,144
				54(

क्र०सं०	दुकानदार का नाम	दुकान नं०	दर/महीना	बकाया राशि
			B.F. –	54023
11.	एस०के० अबदुल्लाह	17	128	4608
12.	श्री विश्वनाथ प्रसाद	18	128	4992
13.	" पप्पू	19	128	3968
14	" नन्हू	20	128	4608
15	" नरेशदास	21	128	1024
16	" रामशोभ पाण्डे	22	128	1152
17	मो० शहजादा	23	128	3072
18.	मो० नसीम	24	128	1024
				78471

जगत पति मार्केट ग्रुप (सी०)

1.	मो० जहीर	1	184	6256
2.	मो० शब्बीर खाँ	2	252	11340
3.	श्री नरेन्द्र राम	3	252	7308
4.	शब्बीर अहमद खाँ	4	248	2480
5.	श्री रामानन्द राम	8	248	6200
6.	श्री सीता राम साव	9	252	3528
7.	मो० मुमताज	10	248	6200
8.	मो० कलीम	11	252	7056
9.	मो० मोइन	12	264	10,032
10.	बैजनाथ प्रसाद	14	256	17,152
11	अनिल प्रसाद	15	264	7471
12.	मो० अफरोज	17	212	8056
				93079

जयप्रकाश मार्केट

1.	श्री गोपाल प्रसाद	1	300	6600
2.	" अशोक कु० सिंह	2	300	4800
3.	" अखिलेश्वर प्रसाद	3	300	25800
4.	" अमन शेखर	5	300	4800
5.	" निरंजन कुमार	6	300	14100
6	" श्री विनोद कुमार सिंह	7	300	18,000
7.	" सुबोध कुमार सिंह	8	300	22500
				96600

क्र०सं०	दुकानदार का नाम	दुकान नं.	दर/महीना	बकाया राशि
	महात्मा गाँधी मार्केट			
1.	श्री बच्चन कुमार	1	300	9300
2.	" नीलमणि कुमार	2	300	4200
3.	मो० यसुफ	3	300	10,800
4.	श्री जयचन्द्र कुमार सिंह	5	300	21,300
5.	" अनिल कुमार सिंह	6	300	9300
6	" सत्यनारायण प्रसाद	7	300	1800
7.	मो० रेयाजुद्दीन	9.	300	1200
8.	सद्दुद्द आलम	10	300	4500
				62,400
	पालिका बाजार "P"			
1	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	4	480	25440
2	" उपेन्द्र पाठक	5	480	12960
3	" धनंजय कुमार (वी)	2	480	16320
4	" संजय कुमार सिंह	3	480	47520
				102240

(1) धर्मशाला मोड़ — 43,756
(2) जगत पति मार्केट "A" — 69,384
(3) " " 'B' — 78,471
(4) " " 'C' — 93,079
(5) जयप्रकाश मार्केट — 96,600
(6) महात्मा गाँधी मार्केट — 62,400
(7) पालिका बाजार 'P' — 1,02,240

कुल बकाया — 5,45,930

(हस्ताक्षर)

परिशिष्ट – V

लेखा परीक्षा के परिणाम को दर्शाती विवरणी

(प्रतिवेदन की कंडिका सं०– 21 में संदर्भित)

क्रम सं०	कंडिका सं०	वसूली हेतु सुझायी गयी राशि (रु०)	अंकेक्षण आपत्ति के अधीन राशि (रु०
1.	7 (ख)	—	1,08,254=00
2.	10(1)	1628=00	—
3.	10(2)	260=00	—
4.	11	25,830=00	—
5.	12(क)	6450=00	—
6.	12(ख)	42,460=00	—
7.	13	22,00000=00	—
8.	17	—	6,16,755=00
9.	18	—	25,62,770=00
	कुल योग-	22,76,628=00	32,87,779=00